प्रेस नोट दिनाँक- 16.11.2023

(1). आज दिनाँक 16.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शारदीय नवरात्रि के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 16.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को **"मिशन शक्ति"** व **''शक्ति दीदी''** के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 05 लीटर कच्ची व 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया ।

(i). चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी रोहित यादव, आरक्षी चन्द्रभूषण राय द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र ननकौना निवासी जिल्लापुरवा मजरा गड़चपा थाना मानिकपुर जनपद को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गय ।

(ii). उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह चौकी शिवरामपुर तथा उनके हमराही आरक्षी श्यामू कुमार द्वारा अभियुक्त अवधेश उर्फ देशा यादव पुत्र स्व0 बासुदेव निवासी ग्राम कुल्लुखेर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ

गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री चन्द्रमणि पाण्डेय एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त दादूलाल उर्फ कामता प्रसाद पुत्र मोहनलाल उर्फ रामखेलावन निवासी कनेली पुरवा गोबरिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा व 01 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वालीः-

1. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री चन्द्रमणि पाण्डेय
2. आरक्षी गजेन्द्र सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने 01 चोर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 12.11.2023 को वादी राजा बाबू चौरसिया पुत्र श्री रामआसरे चौरसिया निवासी द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी मे सूचना दी कि किसी अज्ञात चोर ने उनकी हीरो सुपर स्प्लेण्डर रजि0 नं0 UP 96 H 1963 मोटरसाइकिल चोरी कर ली है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 691/2023 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा उक्त मुकदमें की विवेचना एवं घटना के अनावरण हेतु उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता को निर्देशित किया गया। दिनांक 15.11.2023 को उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता एवं उनके हमराही द्वारा मुखबिर की सूचना पर संतोषी माता मंदरि के पास से मोटरसाइकिल होरी सुपर स्प्लेण्डर पर सवार अभियुक्त अमन चौहान पुत्र स्व0 प्रेमचन्द्र निवासी कजियाना के पीछे द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की हीरो सुपर स्प्लेण्डर रजि0 नं0 UP 96 H 1963 बरामद होने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अमन चौहान पुत्र स्व0 प्रेमचन्द्र निवासी कजियाना के पीछे द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

चोरी की हीरो सुपर स्प्लेण्डर रजि0 नं0 UP96 H1963 मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी कुलदीप द्विवेदी

(6). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्याम देव सिंह तथा उनकी टीम द्वारा चोरी कि योजना बनाते हुये 07 अन्तर्राज्जीय चोरों को चोरी करने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनाँक 16.11.2023 को चौक प्रभारी सीतापुर श्री श्याम देव सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि रैन बसेरा सीतापुर को पास संदिग्ध बाहरी व्यक्ति चोरी करने की योजना बना रहे हैं, इस सूचना पर चौकी प्रभारी सीतापुर तत्काल अपनी टीम के साथ रैन बसेरा पहुंचे एंव मौके से अभियुक्त 1. मुन्ना पुत्र गंगाई नायडू 2.

वेंकटेश पुत्र परमसुआ नायडू 3. राहुल उर्फ शनि पुत्र शंकर नायडू 4. कमसा पुत्र मारमुत्तू नायडू 5. विजय पुत्र नागराज नायडू 6.श्रवण भाई पुत्र मनी नायडू 7. मुरली पुत्र रामकिशन निवासी गन ग्राम बताना नवावपुर जिला नंदूरबार महाराष्ट्र को चोरी की योजना बनाते हुये गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से 04 अदद प्लास, 03 अदद पेंचकस, 05 अदद कटर, चाभी के गुच्छे बरामद हुये । अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 703/2023 धारा 401 भादवि0 पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. मुन्ना पुत्र गंगाई नायडू
2. वेंकटेश पुत्र परमसुआ नायडू
3. राहुल उर्फ शनि पुत्र शंकर नायडू
4. कमसा पुत्र मारमुत्तू नायडू
5. विजय पुत्र नागराज नायडू
6.श्रवण भाई पुत्र मनी नायडू
7. मुरली पुत्र रामकिशन समस्त निवासीगण ग्राम बताना नवावपुर जिला नंदूरबार महाराष्ट्र

बरामदगीः-

चोरी करने का सामान 04 अदद प्लास, 03 अदद पेंचकस, 05 अदद कटर, चाभी के गुच्छे

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्याम देव सिंह
2. आरक्षी अनुज यादव
3. आरक्षी अभिषेक प्रताप
4. आरक्षी अतुल परिहार
5. आरक्षी शिवपूजन यादव

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगडे को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

आवेदक श्री विवेक गोस्वामी पुत्र देवनाथ गोस्वामी निवासी तीर्थराजपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने सूचना दिया कि मेरी पत्नी पूजा पुत्री स्व0 संतोष गिरी निवासी शेरपुर थाना गिरवां जिला बांदा द्वारा गाली गलौज करना तथा घर में न रहने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदया के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया । पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव, महिला आरक्षी सुरुचि चौधरी व महिला आरक्षी मंजूलता द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दोनों पक्षों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1. महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव
2. महिला आरक्षी सुरुचि चौधरी
3.महिला आरक्षी मंजूलता

(8). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा तथा उनके हमराही द्वारा सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने वाले अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र नत्थू निवासी मकरी पहरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को एक अदद देशी अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.11.2023 को सोशल मीडिया सेल को ट्विटर के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी एक लड़के ने लोगों में भय पैदा करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो अपलोड की हुयी है। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। थाना पहाड़ी पुलिस द्वारा युवक की लगातार तलाश की जा रही थी कि आज दिनांक 16.11.2023 को थाना पहाड़ी में नियुक्त उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा एवं उनके हमराही द्वारा अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 218/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर

02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

बरामदगी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी
2. आरक्षी जयप्रकाश

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल तथा मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री जय प्रकाश उपाध्याय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट द्वारा पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 375/2015 धारा 411,413,414,420,467,472 भादवि0 के आरोपी अभियुक्तगण 1. अखिलेश उर्फ कुमकुम पुत्र राधेकृष्ण उपाध्याय निवासी ग्राम नहरा मजरा कलवारा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 2. राजा उर्फ छोटू कुशवाहा पुत्र सोहन लाल निवासी तरौहा छिपटहरी चौगलिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 14.05.2015 को उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्तगण अखिलेश उर्फ कुमकुम पुत्र राधेश्याम उपाध्याय व राजा उर्फ छोटू कुशवाहा को फर्जी नम्बर प्लेट के चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 375/2015 धारा 411,413,414,420,467,472 भादवि0 बनाम अखिलेश उर्फ कुमकुम व राजा उर्फ छोटू कुशवाहा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव द्वारा मुकदमें की विवेचना की गई तथा दिनांक 10.08.2015 को अभियुक्तगणों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।